केस संख्या 02/12

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/3/19	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी वकील के प्रार्थना पत्र दिए पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील ने प्राप्त कुर्कजात रिपोर्ट पर बहस की। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/3/19 को पेश हो
	29/3/19	28 का अवकाश [illegible] पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/4/19 [illegible]
	1/4/19	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 4/4/19 को पेश हो।
	4/4/19	पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16/3/17 पर बहस उभय पक्षों की सुनी गई। साथ ही तहसीलदार सामरा[illegible] से प्राप्त कुर्कजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी वकील ने प्रस्तुत

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रार्थना पत्र वाद को विड्रा करने में अंकित किया कि उनवानी प्रकरण में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 खटवान से लक्ष्मीकांत के नाम अंकित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अब संशोधन नहीं किया जा सकता पुनः संशोधन वाद पत्र ही पेश किया जा सकता है अतः वाद को विड्रा की स्वीकृति प्रदान की जाकर पुनः नया वाद पेश करने की अनुमति दी जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने अपनी में कथन किया कि उनवानी प्रकरण में तीन बार कुर्रेजात रिपोर्ट आ चुकी है वादी अनावश्यक प्रकरण को लम्बा चलाना चाहता है तकासमा नहीं करता है। न्यायालय का काफी समय बर्बाद हुआ है अतः वादी का द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र विड्रा व प्रा०पत्र O.1 R.10 CPC को खारिज फरमाया जावे साथ पूर्व में पेश प्रा०पत्र कायम मुकाम दि० 15/2/16 को स्वीकार फरमाया जावे। हमने उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण बटवारा का है जो वर्ष 2012 में दर्ज हुआ है जिसमें तीन बार तहसीलदार / नायब तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली में शामिल है मर्ग में पारित प्रारम्भिक निर्णय डिक्री दिनांक 14/7/15 भी विड्रा	

प्रभु दत्त बनाम दिलदी व अ०

नाम न्यायालय

केस संख्या 03/12

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		प्रार्थना पत्र से प्रमाणित होता है वाद को इस स्तर पर विलम्ब किया जाता है तो न्यायालय के समय की बर्बादी नहीं की जा सकती है। इसलिए वादी के विलम्ब प्रार्थना पत्र को व ०1 R10 CPC के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रा० पत्र 022 R4 सभी मृतकों के वारिसों को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा प्रा० पत्र 01 R10 CPC व विलम्ब के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सूचना जारी दि० 22/12/16 को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।	
3/5/19		प्रतिवादी सं० 11 सीताराम की ओर से उनके अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र 151, 152 CPC का पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को लाईव करते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा ० 2 में अंकित किया कि पारित निर्णय के पेज नं० 4 में क्रम सं० 1 वर्णित करते हुए वर्तमान पत्रावली की स्थिति को लिखा गया है जिसे	

प्रभूदत्त बनाम दिरूदी व अ०

नाम न्यायालय

केस संख्या 03/12

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		प्रार्थना पत्र से प्रभावित होता है वाद को इस स्तर पर विद्या किया जाता है तो न्यायालय के समय की बर्बादी नहीं की जा सकती है। इसलिए वादी के विड्रा प्रार्थना पत्र को व ०1 R10 CPC के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रा० पत्र 022 R4 सभी मृतकों के वारिसों को रिकार्ड पर लिया जाता है तथा प्रा० पत्र ०1 R10 CPC व विड्रा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना जाकर दि० 22/12/16 को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। याद प्राप्ति दाखिल रिकार्ड हो। Cup	
	3/5/19	प्रतिवादी सं० ।।। सीताराम की ओर से उनके अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र 151, 152 CPC का पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा नं० 2 में अंकित किया कि पारित निर्णय के पेज नं० 4 में क्रम सं० 1 वर्णित करते हुए वर्तमान जमाबन्दी की स्थिति को लिखा गया है जिसे	

फर्द अहकाम

प्रभुसिंह बनाम पिरथी व०

विशेष वि[illegible] न्यायालय

संख्या 8/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वर्तमान जमाबन्दी की स्थिति को दुरुस्त कराकर पुनः प्रस्तावित कुर्रेजात अनुसार निर्णय व डिक्री जारी जाने में सहवन से लिखा गया है तथा गोपालसिंह, नारायण सिंह पिसरान एडसिंह हिस्सा 45 के स्थान पर 1/5 सहवन से लिखा गया है जिसे दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।	
	हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, निर्णय व डिक्री एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर क्र०सं० 1 में वर्तमान जमाबन्दी की स्थिति व क्र०सं० 4 में पहली पंक्ति में हिस्सा 45 के बजाय 1/5 सहवन से दर्ज किया गया है इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 C.P.C. को स्वीकार किया जाता है अतः पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4/4/19 में क्रम सं० 1 को वर्तमान जमाबन्दी की स्थिति पढ़ा जावे तथा निर्णय व डिक्री के क्र०सं० 4 की पहली पंक्ति में गोपालसिंह, नारायण सिंह पि० एडसिंह हिस्सा 1/5 के बजाय 45 हिस्सा पढ़ा जावे। दुरुस्ती अनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नामदर्ज से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.24 13:33:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: